

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का बागौरा,

बनाम

श्री रामेश्वरलाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत घारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

—:निर्णय:—

प्रकरण संख्या:- 04 / 2022

दिनांक 27.01.2022

27.01.2022 पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बागौरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2078 में मौजा ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 82 कुल रकबा 2.12 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ में से 0.77 है0 सरकारी भूमि पर श्री रामेश्वरलाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बागौरा ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर जबाब पेश किया जो शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में उक्त आराजी का उनके हक में नियमन करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा काश्त संबंधी किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

वाके ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 82 कुल रकबा 2.12 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ में से 0.77 है0 सरकारी भूमि पर से श्री रामेश्वरलाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बागौरा को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/-रुपये (अक्षरे रू पचास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से अतिक्रमी को बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चंद्र)

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी